

द्वितीय सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)(समक्ष— मोहम्मद अजहर)क्लेम प्रकरण क्र. 12/17संस्थित दिनांक 09.02.2017

1. श्रीमती शांति बाई पत्नी स्व. गयादीन जाटव आयु 60 वर्ष
2. विशाल आयु 19 वर्ष
3. नरेश आयु 34 वर्ष,
4. शारदा बाई आयु 40 वर्ष (विकलांग) 02 लगायत 04 पुत्रगण एवं पुत्री स्व. गयादीन जाटव समस्त निवासी ग्राम अगनूपुरा थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... आवेदकगणबनाम

शैलेन्द्र जाटव पुत्र रामलखन जाटव निवासी आलोरी  
का पुरा थाना एण्डोरी परगना गोहद जिला भिण्ड  
म0प्र0

.....अनावेदक

.....  
आवेदकगण द्वारा श्री अशोक सिंह राणा अधिवक्ता  
अनावेदक अनुपस्थित, पूर्व से एकपक्षीय।  
.....

// अधि-नि र्ण य //(आज दिनांक 20.02.2018 को पारित)

1. यह क्लेम याचिका धारा-166 एवं 140 मोटरयान अधिनियम के तहत दिनांक 26.04.16 को रात्रि के 08:30 बजे के लगभग बनीपुरा रोड अंगनू पुरा तिराहा गोहद में हुई मोटर वाहन दुर्घटना में आवेदिका श्रीमती शांतिबाई के पति गयादीन को आई चोटों के फलस्वरूप हुई उसकी मृत्यु के लिए अनावेदक से क्षतिपूर्ति की राशि 19,00,000/—(उन्नीस लाख)रुपए ब्याज सहित दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।
2. क्लेम याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 26.04.16 को गयादीन अपनी साइकिल से बनीपुरा गांव से अपने गांव अंगनूपुरा को अपने हाथ पर धीरे धीरे चलाते हुए आ रहा था तभी बनीपुरा रोड पर अनावेदक ने अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एच.के-1896 को बड़ी

तेजी व लापरवाही से चलाकर आगे जा रहे गयादीन की साइकिल में पीछे से टक्कर मार दी जिससे गयादीन को गंभीर चोटें आईं। गयादीन के पुत्र विशाल ने मोटरसाइकिल चालक को पकड़ लिया। गयादीन को गोहद अस्पताल लाया गया, जहाँ उसकी दौराने इलाज मृत्यु हो गई। जिसकी रिपोर्ट विशाल के द्वारा थाना गोहद में की गई। जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दुर्घटना से पूर्व मृतक गयादीन कारीगरी के कार्य से 500/-रुपए प्रति दिन की आय अर्जित करता था। जिससे आवेदकगण का भरण पोषण होता था। उक्त दुर्घटना से गयादीन की मृत्यु हो जाने से अनावेदकगण गयादीन के द्वारा उन्हें पहुँचाई जाने वाली सुख सुविधाओं से वंचित हो गए तथा लाड प्यार दुलार से वंचित हो गए। दुर्घटना दिनांक को अनावेदक उक्त प्रश्नगत वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एच.के-1896 का स्वामी एवं चालक था। उक्त आधारों पर अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि ब्याज सहित दिलाए जाने की प्रार्थना की गई है।

3. प्रकरण में अनावेदक को विधिवत् तमील होने के पश्चात अनावेदक प्रकरण की कार्यवाहियों में अनुपस्थित हो गया। उसके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई का आदेश किया गया। उसके द्वारा क्लेम याचिका का लिखित उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह हैं कि:-

1. क्या अनावेदक द्वारा अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एच.के-1896 को दिनांक 26.04.16 को रात्रि करीब 08:30 बजे बनीपुरा रोड अंगनू पुरा तिराहा के पास उपेक्षा पूर्वक या उतावलेपन से चलाकर गयादीन की साइकिल में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे आई चोटों के फलस्वरूप उपचार के दौरान गयादीन की मृत्यु कारित हुई ?
2. क्या उक्त दुर्घटना में आवेदक गयादीन की योगदायी उपेक्षा थी ?

3. क्या आवेदकगण गयादीन की पत्नी व संतानें होने से क्षतिपूर्ति राशि एवं ब्याज की राशि अनावेदक से पाने के पात्र है, यदि हां तो किस दर से ?
4. सहायता एवं वाद व्यय ?

**—:सकारण निष्कर्ष:—**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक—01 एवं 02 :—**

5. उपरोक्त वादप्रश्न एक दूसरे से संबंधित होने के कारण उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है, ताकि तथ्यों की पुनरावृत्ति न हो।
6. नरेश जाटव अ०सा०—01 ने यह बताया है कि आवेदिका क्रमांक 01 अर्थात् श्रीमती शांतिबाई उसकी मां है तथा आवेदक क्रमांक 02 लगायत 04 उसके भाई बहिन हैं। उसने यह बताया है कि उसके पिता गयादीन जो राशि कमाते थे, उससे उनका भरण पोषण होता था। दिनांक 26.04.2016 को उसके पिता गयादीन अपनी साइकिल चलाते हुए बनीपुरा गांव से अपने गांव अंगनपुरा अपने हाथ पर आ रहे थे। बनीपुरा रोड पर पहुंचने पर अनावेदक ने अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.—07—एच.के.—1896 को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर आगे जा रहे गयादीन की साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे गयादीन आगे जा कर गिरे, भाई विशाल ने पिता को उठाया और मोटरसाइकिल वाले अनावेदक को पकड़ लिया। इलाज हेतु पिता गयादीन को गोहद अस्पताल लाया गया, जहां दौराने इलाज पिता गयादीन की मृत्यु हो गई।
7. आवेदकगण की ओर से संबंधित आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्र०पी०—01 लगायत 09 प्रस्तुत की गई हैं। प्र०पी०—01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 26.04.16 की रात्रि 08:20 बजे से 08:30 बजे के बीच की घटना है। रिपोर्ट 09:00 बजे लिखा दी गई है। इस प्रकार त्वरित प्रथम सूचना रिपोर्ट है। प्रथम सूचना

रिपोर्ट के अनुसार गयादीन का पुत्र विशाल बनीपुरा से भूपेन्द्र तथा सतेन्द्र के साथ मोटरसाइकिल से वापिस घर आ रहा था तथा उसके पिता गयादीन साइकिल से आगे निकल गए थे। जब वे बनीपुरा रोड पर थे तब एक मोटरसाइकिल ने उसके पिता को टक्कर मार दी, जिससे उसके पिता जमीन पर गिर पड़े और इन लोगों ने मोटरसाइकिल वाले को पकड़ लिया जिसका नंबर एम.पी.-07-एच.के.-1896 था। चालक का नाम पूछने पर शैलेन्द्र जाटव पुत्र रामलखन जाटव निवासी आलोरी का पुरा थाना एण्डोरी बताया।

8. प्र०पी०-01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार फिर डॉयल 100 पर फोन लगाने पर पुलिस आ गई और गयादीन को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ गयादीन की मृत्यु हो गई। शैलेन्द्र जाटव ने लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाकर पिता गयादीन को टक्कर मारी जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार नरेश जाटव आ०सा०-01 की साक्ष्य की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-01 से भली भांति हो रही है। जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि मोटरसाइकिल चालक अनावेदक शैलेन्द्र जाटव के द्वारा मोटरसाइकिल को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर गयादीन की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
9. प्र०पी०-03 के शवपरीक्षण के आवेदन तथा शवपरीक्षण प्रतिवेदन का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें मोटरसाइकिल एक्सीडेंट से आई चोटों के कारण मृत्यु होने का उल्लेख है। शवपरीक्षण अगले ही दिन सुबह 09:20 बजे किया गया है। जिसमें मृत्यु का कारण हेड इंजरी होना बताया है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उपरोक्त दुर्घटना में गयादीन को सिर में चोट आई जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। प्र०पी०-05 के जप्ती पंचनामा का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि घटनास्थल से एक पुरानी सादा साइकिल हीरोजेट जप्त की गई है। जिसके आगे के पहिए की रिम और ताने टूटी हुई हैं तथा टायर पूरा खुला हुआ है और साइकिल का बायां पेडल टूटा हुआ है।

10. प्र०पी०-०६ का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अनावेदक शैलेन्द्र जाटव के आधिपत्य से उक्त मोटरसाइकिल हीरोहोण्डा सी.डी.डॉन क्रमांक एम.पी.-०७-के.एच.-१८९६ काले रंग की जप्त की गई है, जिसका दाहिना इण्डिकेटर और हेड लाईट टूटी हुई है। स्पष्ट हो जाता है कि साइकिल के बाईं ओर से मोटरसाइकिल चालक शैलेन्द्र के द्वारा टक्कर मारी गई है, जिससे साइकिल के बाईं ओर और आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है तथा मोटरसाइकिल के दाहिनी ओर का हिस्सा इण्डिकेटर तथा हेड लाईट क्षतिग्रस्त हुए हैं। इससे भी शैलेन्द्र जाटव के द्वारा मोटरसाइकिल को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर टक्कर मारना प्रमाणित होता है। इस मामले में अनावेदक के द्वारा अधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त साक्षी का कोई खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार इस बिन्दु पर आवेदक की साक्ष्य अखण्डनीय है।

11. इस मामले में पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया गया है और प्रथम दृष्टि में अनावेदक शैलेन्द्र जाटव को दोषी पाते हुए, प्र०पी०-०८ का अभियोगपत्र धारा-३०४(ए) भा०दं०सं० एवं ३९/१९२, १४०/१९६, ३/१८१ मोटरयान अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। इससे भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अनावेदक शैलेन्द्र जाटव ने उक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर उक्त दुर्घटना कारित की जिससे आवेदकगण के पिता गयादीन को चोटें आईं। जिससे उनकी मृत्यु हो गई ऐसी स्थिति में आवेदकगण के पिता गयादीन की कोई योगदायी उपेक्षा होना भी प्रकट नहीं होता है। यह भी प्रकट होता है कि दुर्घटना दिनांक को प्रश्नगत मोटरसाइकिल का परव्यक्ति जोखिम बीमा नहीं था और अनावेदक के पास रजिस्ट्रेशन तथा लाइसेंस आदि दस्तावेज नहीं थे। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि अनावेदक शैलेन्द्र जाटव ने उक्त वाहन मोटरसाइकिल को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर उक्त दुर्घटना कारित की जिससे आवेदकगण के पिता गयादीन को चोटें आकर उसकी मृत्यु कारित हुई।



**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03:-**

12. नरेश जाटव आ0सा0-01 ने यह बताया है कि उसके पिता मकान बनाने की कारीगरी करते थे, जिससे प्रतिदिन 500/-रुपए कमाते थे। परंतु अपनी पिता की आय के संबंध में कोई डायरी या दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। इस संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति की भी साक्ष्य नहीं कराई है कि जिसके अधीन रहकर किसी मकान को बनाने का कार्य किया हो या किसी व्यक्ति का मकान बनाया हो अतः ऐसी स्थिति में यह प्रकट और प्रमाणित नहीं होता है कि गयादीन की आय 500/-रुपए प्रतिदिन थी। परंतु गयादीन की आय मजदूर के रूप में मान्य किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
13. वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर को अकुशल श्रमिक के हिसाब से लिया जाए तथा यह भी मान्य किया जाए कि 20-25 दिवस कार्य करता है, तब भी मजदूरी लगभग 5,000/-रु. प्रतिमाह की दर से होती है। न्यूनतम मजदूरी की दर, महगाई, आवश्यकता तथा अन्य सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक की मासिक आय 5,000/-रु. मान्य की जा सकती है।
14. शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र0पी0-03 के अनुसार गयादीन की आयु 65 वर्ष लिखी हुई है। अन्य कोई दस्तावेज आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत नहीं है। अतः पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गयादीन की आयु मृत्यु के समय 65 वर्ष मान्य की जाती है। न्यायदृष्टांत सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य ए.आई.आर. 2009 एस सी 3104 एवं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य के परिप्रेक्ष्य में 61-65 वर्ष की आयु के बीच 07 का गुणक प्रयुक्त होगा।
15. जहां तक कि आश्रितता का प्रश्न है, आवेदिका क्रमांक 01 श्रीमती शांति बाई गयादीन की पत्नी है, उसका अपना कोई रोजगार होना प्रमाणित नहीं है। विशाल की आयु 19 वर्ष एवं नरेश की आयु 34 वर्ष होकर वे वयस्क

पुत्र हैं। अतः वे आश्रित सदस्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। आवेदिका क्रमांक 04 शारदा बाई की आयु 40 वर्ष है। क्लेम याचिका के शीर्षक में उसे विकलांग होना लिखा हुआ है। परंतु उक्त विकलांगता के संबंध में न तो कोई अभिवचन किए गए हैं और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि शारदा बाई, अविवाहित होकर और विकलांग होकर वह अपनी आय अर्जित करने में सक्षम नहीं है। अतः उसे भी आश्रित सदस्य की श्रेणी में मान्य नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार गयादीन की आय पर आश्रित सदस्य केवल श्रीमती शांतिबाई है। परंतु शेष आवेदकगण गयादीन की संतानें होने के कारण कुछ राशि उन्हें दिलाया जाना न्यायोचित है।

16. **सरला वर्मा** वाले न्यायदृष्टांत के अनुसार जैसा कि आश्रित की संख्या 01 है, वहां आश्रितता की राशि हानि का कटौती 1/2 होना चाहिए अर्थात् यह मान्य किया जाता है कि गयादीन जीवित होता तो वह स्वयं पर अपनी कुल आय का 1/2 भाग खर्च करता। **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य** वाले मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशगण की पीठ ने आश्रित माता पिता के लिए आय का 1/2 भाग का कटौती किया जाना निर्धारित किया है। इस प्रकार 5,000/-रु. प्रतिमाह के हिसाब से वार्षिक आय 60,000/-रु. होती है। जिसमें 1/2 हिस्से का कटौती किये जाने पर वार्षिक आय 30,000/-रु. होती है। इसमें 07 का गुणक लगाने पर आश्रितता की कुल हानि 2,10,000/-रु. होती है। उक्त आश्रितता की हानि आवेदकगण को दिलाई जाती है।

17. मृतक गयादीन की पत्नी आवेदिका श्रीमती शांति बाई को पति सुख से बंचित होने तथा शेष जीवन में सहवास सुख से बंचित होते हुए उसे जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है। अतः **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य** में माननीय उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की बैंच द्वारा साहचर्य सुख की हानि 40,000/- (चालीस हजार) रुपये

दिलाई जाना निर्धारित किया है। अतः उक्त न्यायदृष्टांत में दिये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य में साहचर्य सुख की हानि के संबंध में आवेदिका को 40,000/- (चालीस हजार) की राशि दिलाई जाती है।

18. उक्त न्यायदृष्टांत **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य** वाले न्यायदृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम संस्कार के व्यय में 15,000/-रु. की राशि दिलाये जाने का मार्गदर्शन दिया है। अतः उक्त राशि 15,000/-रुपये प्रथक से प्रतिकर स्वरूप दिलायी जाती है। न्यायदृष्टांत **प्रणय सेठी** में दिये गये निर्देश को विचार में रखते हुए सम्पदा की हानि के लिए 15,000/-रु. दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

19. इस प्रकार आवेदकगण अनावेदक से निम्नानुसार क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं:-

| क्रमांक              | मद                    | राशि       |
|----------------------|-----------------------|------------|
| 1                    | आश्रितता की हानि      | 2,10,000/- |
| 2                    | साहचर्य सुख की हानि   | 40,000/-   |
| 3                    | अंतिम संस्कार का व्यय | 15,000/-   |
| 4                    | सम्पदा की हानि        | 15,000/-   |
| कुल क्षतिपूर्ति राशि |                       | 2,80,000/- |

#### वादप्रश्न क-04 वाद व्यय एवं अन्य अनुतोष:-

20. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण अपना मामला आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। अतः उनकी यह क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आवेदकगण के पक्ष में एवं अनावेदक के विरुद्ध निम्न अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-

1. अनावेदक आवेदकगण को क्षतिपूर्ति राशि 2,80,000/- (दो लाख अस्सी हजार) रुपये अधिनिर्णय दिनांक 20.02.18 से दो माह के अंदर अदा करें।



2. अनावेदक आवेदकगण को आवेदन प्रस्तुति दिनांक 09.02.17 से सम्पूर्ण राशि की अदायगी तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज भी अदा करेगा।
3. उक्त क्षतिपूर्ति की राशि 2,80,000/-(दो लाख अस्सी हजार) रूपये एवं उससे प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि जमा होने पर उक्त राशि में से आवेदक क्रमांक 02 विशाल एवं आवेदक क्रमांक 03 नरेश को 25,000-25,000/-रूपए की राशि तथा आवेदिका क्रमांक 04 शारदा बाई को 25,000/-रूपए की राशि बैंक के माध्यम से नकद प्रदान की जावे।
4. शेष राशि में से आवेदिका क्रमांक 01 श्रीमती शांति बाई के नाम से 75,000/-75,000/-रु. राष्ट्रीयकृत बैंक में 05 एवं 07 वर्ष की अवधि के लिए फिक्स डिपोजिट किए जावे तथा शेष समस्त राशि उसे बैंक के माध्यम से नकद प्रदान की जावे।
5. अनावेदक अपना स्वयं का तथा आवेदकगण का वाद व्यय एवं अभिभाषक शुल्क वहन करेगा। अभिभाषक शुल्क 2,000/-रु. निर्धारित किया जावे।

उपरोक्तानुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

अधिनिर्णय न्यायालय में दिनांकित एवं मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।  
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

(मोहम्मद अज़हर)  
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा अधि.  
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)  
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा.अधि.  
गोहद, जिला भिण्ड